नियम 37 : प्रत्युत्तर फाईल करना

जहां प्रत्यर्थी ऐसे अतिरिक्त तथ्य बताता है जो मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक हो सकते हैं, न्यायपीठ याचिकाकर्ता को जीएसटीएटी पोर्टल पर प्रत्यर्थी द्वारा फाईल उत्तर पर प्रत्युत्तर फाईल करने की अनुमति दे सकती है, जिसकी अग्रिम प्रति प्रत्यर्थी को एक महीने के भीतर या न्यायपीठ द्वारा निर्दिष्ट या बढ़ाए गए समय के भीतर दी जाएगी।